न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः 131/2017

हंसराज पुत्र श्री भादरराम जाति स्वामी निवासी चक 10 एस.पी.डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री शिशपाल शर्मा
2. पैरोकार राज.

निर्णय

दिनांकः 07.08.2019

1. यह अपील बहुकम तहसीलदार राजस्व सूरतगढ दिनांक 10.10.2017 प्र.स. 14/2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य निम्न प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को रोही सरदारपुरा खर्था के पत्थर नं. 208/46 के किला नं. 1 ता 15 के 3.795 है0 रकबा का नाजायज काश्तकार एवं अतिक्रमी मानकर 380 रूपये पैनल्टी राशि अधिरोपित करते हुए फसल कुर्क करने व कुर्क शुदा फसल नीलाम करने तथा जैर अपील भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया है जो कि विधि विरूद्ध है एवं काबिल निरस्ती है। मातहत अदालत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं ना ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया गया। मातहत अदालत ने अपने ही कयासों के आधार पर अपीलांट के पीठ पीछे जैर अपील आदेश पारित किया है जो पूर्णतया कानून के विपरीत है।
2. उक्तानुसार अपील 131/2017 पर दर्ज की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की और से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा पेश हुए एवं रेस्पोडेंट की ओर राज पेरोकार उपस्थित आए।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा अपीलांट को बिना सुने बिना कोई सूचना दिये अपीलांट की पीठ पीछे निर्णय दिनांक 10.10.2017 पारित कर दिया जिसमें अपीलांट को चार–चार सजाएं एक साथ दे दी गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है इसके साथ ही अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि राज्य सरकार की मंशा यह है कि जो व्यक्ति आवंटन का पात्र है व जिसका कब्जा सन 2005 से पूर्व का है उस काश्तकार को रकबा नियमन कर दिया जावे व किश्ते भरवा ली जावें अतः अपीलांट पिछले 15–20 वर्षों से जैर रकबा भूमि पर काबिज है एवं किश्तें भरने हेतु तैयार है तथा नियमन की पत्रावली उपखण्ड न्यायालय, सूरतगढ के समक्ष जैरकार है। जवाब बहस में राज पैरोकार ने कथन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज कब्जा काश्त कर अतिक्रमण किया है रिपोर्ट पटवारी सही है एवं अपीलांट को नोटिस जारी किया गया था जिसकी विधिवत तामील भी हुई है परन्तु अपीलांट उपस्थित नहीं आया तथा जवाब नोटिस प्रस्तुत किया।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन, मनन एवं चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। जिससे ज्ञात होता है कि अपीलांट कि अपीलांट पिछले 15–20 वर्षों से जैर रकबा भूमि पर काबिज है तथा रकबा नियमन की पत्रावली उपखण्ड न्यायालय, सूरतगढ के समक्ष जैरकार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार, सूरतगढ के निर्णय दिनांक 10.10.2017 को अपास्त करते हुए इस आश्य के साथ रिमाण्ड की जाती है कि पक्षकारों को पुनः सुनते हुए विधेसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner